[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India Ministry of Finance (Department of Financial Services)

New Delhi, 9th April, 2024

NOTIFICATION

S.O. ____ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006) the Central Government hereby nominates Shri Parshant Kumar Goyal, Joint Secretary, Department of Financial Services as a member of the Disciplinary Committee constituted by the Council of the Institute of Actuaries of India *vice* Shri Mukesh Kumar Bansal, erstwhile, Joint Secretary, Department of Financial Services, with immediate effect and until further orders.

[F. No. A-11011/04/2022-Ins.I]

(Abdul Gufran)

Under Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, ९ अप्रैल,२०२४

अधिसूचना

बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का.आ. का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री मुकेश कुमार बंसल, भूतपूर्व, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक श्री प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा.सं. A-11011/04/2022-Ins.I]

अवर सचिव, भारत सरकार